न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 239/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :–** 2024/341
दायर दिनांक :– 04.10.2024 **निर्णय दिनांक :–** 11.12.2024

1. मठार खां पुत्र दावद खां जाति मुलसमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी, राजस्थान
2. अलाबक्स पुत्र इखत्यार खां जाति मुलसमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
3. इस्लामदीन पुत्र इखत्यार खां जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
4. सदामहुसैन पुत्र इखत्यार खां जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
5. सरमा पुत्री इकत्यार जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
6. सायबदीन पुत्र इखत्यार खां जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
7. हपु पत्नी इकत्यार जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
8. हामदीन पुत्र इखत्यार खां जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आश्य से पेश किया है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 39/500 रकबा 2.4281 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण सं. 2 ता 8 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 250/39 रकबा 20.2464 हैक्टेयर सरहद मौजा भड़ला (चूहड़ो की बस्ती) पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस सलंग्न पेश है। प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों काश्त भूमि खसरा नम्बर 39/500 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा व काश्त लगातार चला आ रहा है और प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृति पैदावार का उपयोग व उपभोग लेता आ रहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 ने उक्त भूमि को लेकर कभी भी बंटवाड़ा नहीं किया है और न ही प्रार्थी ने तरमीम बाबत किसी प्रकार की कोई सहमति दी है लेकिन वर्तमान में पटवारी हल्का ने सरासर गलत तरीके से एवं प्रार्थीगण को सूचित किये बगैर ही प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 की तरमीम बिना किसी विधिक आदेश के कर दी है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की तरमीम नहर से दूर कर दी गई है जिससे प्रार्थी को भंयकर नुकसान हो रहा है। उपरोक्त वर्णित खसरा की तरमीम को निरस्त करवाकर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने की अधिकारिणी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है नजरी

11.12.24
कलेक्टर
बाप (फलोदी)

नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पेश किया जा रहा है। जिसे प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग माना व समझा जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार बाप ने जवाब एवं मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 8 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस पर मनन किया गया। ग्राम भड़ला (चूहड़ों की बस्ती) पटवार हल्का नूरे की भुर्ज तहसील बाप के खसरा नम्बर 39/500 रकबा 2.4281 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 250/39 रकबा 20.2464 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का नुरे की भुर्ज की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम भड़ला (चूहड़ों की बस्ती) पटवार हल्का नूरे की भुर्ज तहसील बाप के खसरा नम्बर 39/500 रकबा 2.4281 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 250/39 रकबा 20.2464 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11.12.24
(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)